क्रम-संख्या—145

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 2 मई, 1997

वैशाख 12, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग–1

संख्या 470/ सत्रह–वि–1–1 (क) 5/1997

लखनऊ, 2 मई, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 1 मई, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1997]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, शब्द "दो हजार छः सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "तीन हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 5 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) शब्द "पैंसठ हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "दिनांक एक जून, 1997 से पचासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक" रख दिये जायेंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि जब कभी भी प्रथम श्रेणी के रेल किराये में वृद्धि होगी, राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा रेल कूपन के मूल्य में आनुपातिक वृद्धि कर सकती है।"

धारा 15 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 15 में,—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) और (3) में, शब्द "एक सौ रुपये" के स्थान पर, शब्द "एक सौ पच्चीस रुपये" रख दिये जायेंगे।

नये अध्याय 4-क का बढ़ाया जाना

5—मूल अधिनियम के अध्याय 4 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:—

"अध्याय 4-क

सचिवीय भत्ता

सचिवीय भत्ता

15-क—सभा या परिषद् का प्रत्येक सदस्य चाहे वह धारा 2 के खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी पद पर आसीन हो या न हो, जिसमें नेता विरोधी दल भी सम्मिलित हैं, अपनी सदस्यता की अवधि में या, यथास्थिति, अपने सम्पूर्ण कार्यकाल में, जिसमें वह, ऐसे पद पर आसीन है, दो सौ रुपये प्रतिमास की दर पर सचिवीय भत्ता पाने का हकदार होगा।"

धारा 17-क का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 17-क में, शब्द "एक लाख रुपये से अनधिक" के स्थान पर, शब्द "दो लाख रुपये से अनधिक" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का प्रतिस्थापन

7—मूल अधिनियम की धारा 24 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

भूतपूर्व सदस्य को पेंशन

"24—प्रत्येक व्यक्ति जिसने सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में किसी भी अवधि के लिये कार्य किया हो, अपने जीवन-पर्यन्त एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास की दर से पेंशन पाने का हकदार होगा:

परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने उपर्युक्तानुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये कार्य किया हो, वहाँ वह एक वर्ष से अधिक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये एक सौ रुपये प्रतिमास की दर से अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होगा।"

धारा 25 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 25 में,—

(क) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(क) जहाँ कोई व्यक्ति संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 के उपबन्धों के अधीन कोई पेंशन पाने का हकदार हो और ऐसी पेंशन धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो;"

(ख) खण्ड (ख) और (ग) में, शब्द "दो हजार पचास रुपये" के स्थान पर, शब्द "धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि" रख दिये जायेंगे।

धारा 26 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 26 में, शब्द "दो हजार पचास रुपये", जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर, शब्द "धारा 24 के अधीन अनुमन्य पेंशन की धनराशि" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 470 (2)/XVII–V–1—1(KA) 5/1997

Dated Lucknow, May 2, 1997

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 1, 1997 :

THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 1997

[U. P. ACT NO. 4 OF 1997]

(As passed by the U. P. Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980

IT IS HEREBY enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows:–

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 1997.

Amendment of section 4 of U.P. Act no. 23 of 1980

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, here in after referred to as the principal Act, *for* the words "two thousand and six hundred rupees" the words "three thousand rupees" shall be *substituted.*

Amendment of section 5

3. In section 5 of the principal Act,—

(a) for the words "not exceeding sixty-five thousand rupees per annum" the words "not exceeding eighty-five thousand rupees per annum from June 1, 1997" shall be *substituted:*

(b) after the exiting proviso the following proviso shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that whenever there is an increase in the railway fare of first class, the State Government may by a notified order make a proportional increase in the value of railway coupons."

Amendment of section 15

4. In section 15 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1) *for* the words "one hundred fifty rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted* ;

(b) in sub-sections (2) and (3) for the words "one hundred rupees" the words "one hundred and twenty five rupees" shall be *substituted.*

Insertion of new chapter 4-A

5. *After* Chapter 4 of the principal Act, the following Chapter shall be *inserted*, namely:—

"CHAPTER IV—A

SECRETARIAL ALLOWANCE

Secretarial allowance

15—A. Every member of the assembly or the council, whether or not he holds any of the office referred to in clause (1) of section 2 including the leader of opposition shall be entitled to receive for the duration of his membership or, as the case may be, during the whole of the term in which he holds such office, secretarial allowance at the rate of two hundred rupees per month."

Amendment of section 17-A

6. In section 17–A of the principal Act *for* the words "not exceeding rupees one lakh" the words "not exceeding rupees two lakh" shall be *substituted.*

Substitution of Section 24

7. *For* section 24 of the principal Act, the following section shall be *substituted, namely:*—

Pension to ex-member

"24. Every person who has served as a member of the Assembly or the Council for any period shall be entitled to a pension at the rate of one thousand two hundred and fifty rupees per month throughout his life:

Provided that where any person has served as aforesaid for period exceeding one year, he shall be entitled to an additional pension at the rate of one hundred rupees per month for every completed year in excess of one year."

Amendment of section 25

8. In section 25 of the principal Act,—

(a) for clause *(a)*, the following clause shall be *substituted,* namely:—

"*(a)* where a person is entitled to any pension under the provisions of the Salaries, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 and such pension is equal to or exceeds the amout of pension admissible under section 24"

(b) in clauses *(b)* and *(c)*, *for* the words "two thousand and fifty rupees", the words "the amount of pension admissible under section 24" shall be *substituted.*

Amendment of section 26

9. In section 26 of the principal Act, *for* the words "two thousand and fifty rupees", wherever occuring, the words "the amount of pension admissible under section 24" shall be *substituted.*

By order,

R.D. MATHUR,
Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 25 सा० विधायिका—(247)—1997—850—(कम्प्यूटर/आफसेट) ।